



भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल

Website: www.bsgmp.net E_bsgmadhyapradesh@gmail.com Phone ☎: 2661263, 2737446 Fax: 2737446

ज्ञाप क्र० / 9737 / रामु/गति-गावि/2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 2/7/2014

1. सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड)
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश
संभागीय मुख्यालय
2. जिला संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड)
जिला संघ

विषय :- प्रधानमंत्री/उपराष्ट्रपति शीलड प्रतियोगिता कार्यशाला का आयोजन ।

सन्दर्भ :- प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम सत्र 2014-2015 के अनुसार ।

-0-

विषयान्तर्गत लेख है कि यूनिट लीडर के प्रशिक्षण स्तर में वृद्धि को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राज्य स्तर प्रधानमंत्री/उपराष्ट्रपति शीलड प्रतियोगिता कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है । अतः अपने संभाग/जिले के पंजीकृत दलों के स्काउटर-गाइडर को जिन्होंने सत्र 2014-2015 हेतु अपने दल का पंजीयन प्रधानमंत्री/उपराष्ट्रपति शीलड प्रतियोगिता हेतु कराया है जिसकी सूची संलग्न है । अतः संलग्न सूची अनुसार अनिवार्य रूप से दिनांक 18 जुलाई 2014 को प्रातः 11 बजे तक उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें ।

शिविर संबंधित अन्य जानकारी निम्नानुसार है :-

कार्यक्रम :- प्रधानमंत्री/उपराष्ट्रपति शीलड कार्यशाला का आयोजन ।

अवधि :- दिनांक 18 से 20 जुलाई 2014 तक ।

स्थान :- राज्य प्रशिक्षण केन्द्र गांधीनगर भोपाल ।

उपस्थिति :- दिनांक 18 जुलाई 2014 को भोजन पूर्व

प्रस्थान :- दिनांक 20 जुलाई 2014 को दोपहर भोजन पश्चात्

शुल्क :- शिविर शुल्क रूपये 225/- प्रति व्यक्ति शाला निधि से देय

विकास/विशेष शुल्क रू० 100/- ---"---

शास० विद्यालय के स्काउटर/गाइडर को उनके विभाग से अग्रिम व यात्राभत्ते की पात्रता होगी । अशास० विद्यालय के स्काउटर/गाइडर को संबंधित संस्था से उपरोक्त शुल्क व मार्ग व्यय का भुगतान किया जावेगा ।

सामग्री :- दो जोड़ी पूर्ण व्यवस्थित यूनिफार्म, पहनने व बदलने के कपडे, मौसम के अनुसार बिस्तर, भोजने करने के बर्तन, लेखन सामग्री, ड्राइंगशीट, स्केचपेन, अन्य प्रशिक्षण हेतु उपयोगी सामग्री एवं किये कार्यो का विवरण साथ लावे । प्राप्त निर्देशिका भी साथ लावे ।

अतः आप अपने संभाग/जिले से संलग्न सूची अनुसार स्काउटर-गाइडर को अनिवार्यतः सम्मिलित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें । प्रतिभागियों को शासन के नियमानुसार यात्राभत्ते की पात्रता होगी इस हेतु इन्हें शालेय निधि से यात्रा अग्रि राशि प्रदान की

जावे । शिविर में विलम्ब से उपस्थित होने पर सम्मिलित नहीं किया जावेगा । शिविर में प्रतिभागिता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करे ।

संलग्न: ५-४०-१

पृ०क्र०/१७३७ /रामु/गति-गावि/२०१४

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु -

- 1 राज्य संगठन/प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट/गाइड) राज्य मुख्यालय भोपाल ।
- 2 संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग(म०प्र०)
- 3 संभागीय उपायुक्त, अनुसूचित जाति एवं आदिवासी विकास(म०प्र०)
- 4 लेखाधिकारी राज्य मुख्यालय भोपाल ।
- 5 वार्डन राज्य प्रशिक्षण केन्द्र गांधीनगर भोपाल ।

राज्य सचिव २/७/१४

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक २/७/२०१४

राज्य सचिव

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश